

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 334]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 27, 1973/आश्विन 5, 1895

No. 334]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 1973/ASVINA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 27th September 1973

S.O. 522(E).—Whereas in the opinion of the Central Government, it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike or lock-out in the works (including the works connected with the supply of electrical energy to the public or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply) connected with the Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli would pre-judicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes or lock-outs in the said works;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 347(E) dated the 21st June, 1973, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, any strike or lock-out in connection with any industrial dispute in the said works for a period of six months

[No. F. S. 42025/5/73-LR.I.]

N. P. DUBE, Addl. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय
(श्रम और रोजगार विभाग)

आवेद

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1973

का० आ० 522 (अ०).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

और यतः नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली से सम्बन्धित संकर्मों (जिसमें जनता को विद्युत् ऊर्जा के प्रदाय या ऐसे प्रदाय के प्रयोजन के लिए विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन संचयन या प्रेषण से सम्बद्ध संकर्म भी सम्मिलित हैं), में हड़ताल या तालाबन्दी समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, अतः उक्त संकर्मों में हड़ताल या तालाबन्दी रोकना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः, अब, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 1:8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 347 (ई); तारीख 21 जून, 1973 का आंशिक उपान्तरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त संकर्मों में किसी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित हड़ताल या तालाबन्दी को छः मास की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करती है, जो तुरन्त प्रभावी होगा ।

[सं० फा० एस० 42025/5/73—एल० फार०-I]

एन० पी० दुबे, अपरसचिव ।